कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली

पत्रांक 2708 /अभिकरण, हाजीपुर दिनांक 23/12/13

प्रेषक,

लोकपाल,
मनरेगा, वैशाली।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
वैशाली।

विषयः– **शिकायतकर्त्ता धनंजय कुमार झा, ग्राम+पो0–गोरौल, जिला– वैशाली द्वारा प्रेषित शिकायत–पत्र से संबंधित प्रतिवेदन।**

संदर्भः– जिला जन शिकायत कोषांग परिवाद संख्या– 2895/22.08.2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक परिवाद पत्र मनरेगा योजना में ग्राम पंचायत – गोरौल भगवानपुर, प्रखण्ड– गोरौल अन्तर्गत वृक्षारोपण योजनाओं के गबन एवं दुरूपयोग में मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक पर उप विकास आयुक्त, वैशाली के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश पत्रांक 148 दिनांक 05.03.2011 से संबंधित था। उक्त संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारी, गोरौल से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदन भेजी जा रही है।

अनुलग्नकः यथोक्त।

विश्वासभाजन

23/12/13

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली
लोकपाल, मनरेगा
जिला– वैशाली

दिनांक	शिकायत संख्या 27/13–14 के तथ्य एवं निष्कर्ष	अभ्युक्ति
	यह शिकायत पत्र श्री धनंजय कुमार झा, ग्राम+पो0– गोरौल, जिला–वैशाली के दिनांक 04.09.2013 के आवेदन–पत्र पर अंकित किया गया था। शिकायत पत्र में लगाये गये आरोप निम्न है। ग्राम पंचायत गोरौल भगवानपुर में वृक्षारोपण योजना में गबन एवं दुरूपयोग किये गये राशि हेतु मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक पर उप विकास आयुक्त, वैशाली के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने हेतु दिये गये आदेश के तीन वर्ष बाद भी प्राथमिकी दर्ज करवाया गया है। जिस कारण भ्रष्टाचार प्रोत्साहित हो रहा है। शिकायतकर्त्ता ने इस संबंध में उप विकास आयुक्त, वैशाली के पत्रांक 148 दिनांक 05.03.2011 तथाा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोरौल के पत्रांक 1516 दिनांक 12.07.2013 का भी उल्लेख किया है। शिकायतकर्त्ता के शिकायत पत्र के संबंध में पत्रांक 1572 दिनांक 07.09.2013 द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी, गोरौल से कारण पृच्छा की मांग की गयी। काफी प्रयास के बाद दिनांक 11.12.2013 को कार्यक्रम पदाधिकारी, गोरौल का कारण पृच्छा प्राप्त किया जा सका। अपने कारण पृच्छा में उन्होंने बताया है कि उप विकास आयुक्त, वैशाली के पत्रांक 148 दिनांक 05.03.2011 के तहत् प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश के आलोक में चार ग्राम पंचायतो में (कन्हौली धनराज, कन्हौली विशनपरसी, इनायतनगर एवं लोदीपुर) द्वारा अपेक्षित पौधों का पुनः प्रत्यारोपण करवा लिया गया था एवं इसकी सूचना उप विकास आयुक्त, वैशाली को पत्रांक 53 दिनांक 06.04.2011 द्वारा दी गयी थी। उप विकास आयुक्त, वैशाली द्वारा पत्रांक 358 दिनांक 26.06.2011 से तत्कालीन कार्यक्रम पदाधिकारी, गोरौल से प्रमाण–पत्र की मांग की गयी थी। कार्यक्रम पदाधिकारी ने आगे यह भी बताया है कि एक पंचायत गोरौल भगवानपुर में पौधों का पुनः प्रत्यारोपण संबंधी कोई भी सूचना स्पष्ट नहीं है। तत्सम्यक कार्यरत पंचायत रोजगार सेवक एवं तत्सम्यक कार्यरत कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा त्याग–पत्र दिया जा चुका है। उक्त पंचायत में करवाये गये पौधों का पुनः प्रत्यारोपण अथवा प्राथमिकी दर्ज करवाने का कोई भी साक्ष्य कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में कार्यरत पंचायत रोजगार सेवक द्वारा अभिलेख के अवलोकन के पश्चात् बताया गया है कि उक्त योजनाओं में 100 दिनों की मजदूरी का भुगतान किया गया है एवं इसके पश्चात् पौधे सूख गये तथा इसका पुनः प्रत्यारोपण नही हुआ एवं मजदूरी का भुगतान भी नहीं हुआ। मापी पुस्तिका दिनांक 10.12.2009 तक अंकित है जिसमें कुल 100 दिनों का भुगतान दिखाया गया है। शिकायतकर्त्ता द्वारा सूचना के तहत प्राप्त की गयी एक अन्य पत्र का भी हवाला दिया गया है। जिसमें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोरौल द्वारा प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, गोरौल को प्रेषित पत्रांक 1516 दिनांक 12.07.2013 में स्मारित किया गया है कि मनरेगा योजना के वृक्षारोपण योजना में की गयी सरकारी राशि के गबन एवं दुरूपयोग करने के मामले में गोरौल भगवानपुर पंचायत के मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश आपको उप विकास आयुक्त, वैशाली के पत्रांक 148 दिनांक 05.03.2011 द्वारा प्राप्त होने के बावजूद आज तक न तो प्राथमिकी दर्ज करायी गयी न ही उपरोक्त चर्चित परिवाद का जांच करना अपने आप में गंभीर मामला परिलक्षित होता है।	

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त चर्चित परिवाद की जांचकर कानूनी कार्रवाई या उप विकास आयुक्त, महोदय के पत्रांक 148 दिनांक 05.03.2011 द्वारा प्राप्त आदेश के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कराकर आवेदक को अपने स्तर से सूचित करने का अनुरोध किया गया है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा उक्त पत्र की प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी, वैशाली को भी दी गयी है जिसमें अपने स्तर से गोरौल भगवानपुर ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण योजना एवं पुल निर्माण कार्य से संबंधित आरोप –पत्र का मूल पर कार्रवाई करने हेतु आदेश देने का अनुरोध किया गया है।

संचिका की समीक्षा की गयी। कार्यक्रम पदाधिकारी, गोरौल के प्रतिवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि वर्तमान में कार्यरत पंचायत रोजगार सेवक द्वारा योजना के अभिलेख का अध्ययन किया गया है। अध्ययन से यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त योजनाओं में 100 दिनों की मजदूरी का भुगतान किया गया है। इसके पश्चात् पौधे सूख गये। पौधो का पुनः प्रत्यारोपण नहीं किया गया। जबकि मनरेगा की योजनाओं में स्पष्ट निदेश है कि 90 प्रतिशत से कम पौधे जीवित रहने पर भुगतान नहीं होना है। जबकि उचित संख्या में पौधो को बदले भी नहीं गये है। अतः यह स्पष्ट है कि उक्त योजनाओं में मनरेगा के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। जिसके परिपेक्ष्य में उप विकास आयुक्त, वैशाली के पत्रांक 148 दिनांक 05.03.2011 द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है का जिसकी पुष्टि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोरौल द्वारा भी की जा चुकी है तथा प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, गोरौल को अपने स्तर से प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध कर चुके है। चूँकि योजना का कार्यान्यवन बंद हो चुका हे और खर्च की गयी राशि की उपलब्धता लगभग शून्य है। उप विकास आयुक्त, वैशाली के पत्रांक 148 दिनांक 05.03.2011 के आदेश के उपरांत मुखिया या पंचायत रोजगार सेवक द्वारा योजनाओं के पूर्ण क्रियान्यवन हेतु कोई प्रयास भी नहीं किये गये है।

उक्त संदर्भ में कार्यक्रम पदाधिकारी, गोरौल द्वारा मार्गदर्शन हेतु उप विकास आयुक्त, वैशाली से भी अनुरोध की जा रही है।

अतः उक्त परिवाद में कार्यक्रम पदाधिकारी, गोरौल को प्राथमिकी दर्ज करने के पूर्व में दिए गये आदेश का अनुपालन करने हेतु निदेश दिया जा सकता है।

हस्ताक्षर

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।